

भाग III

हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 फरवरी, 2004

संख्या का०आ० 22/ह० अ० 12/1999/घा० 24/2004.—हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का अधिनियम 12), की धारा 24 की उप धारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 29 में, उप-नियम (3) में, "विभाग" शब्द के स्थान पर, "समुचित प्राधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 30 में,—

(i) उप-नियम (1) में,—

(I) खण्ड (क) में, उप-खण्ड (ii) में, "निदेशक" शब्द के स्थान पर, "समुचित प्राधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(II) खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (i) में, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"टिप्पण :—प्राइवेट विद्यालय, कम से कम बीस वर्ष के अप्रवर्तनीय पट्टा विलेख के साथ पट्टाधृति आधार पर किराये पर लिये गये भवन में चलाया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा भवन, इन नियमों के अधीन यथाविहित भूमि तथा भवन के मानक पूरा करता हो।";

(ii) उप-नियम (2) में "घरोहर राशि" शब्दों के बाद, "या बैंक गारंटी" शब्द जोड़ दिये जायेंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 31 में, उप-नियम (1) में,—

(i) "दस महीने" शब्दों के स्थान पर, "छह महीने" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "की 30 जून" शब्द तथा अंकों का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 34 में,—

- (अ) उप-नियम (1) में, I-V अकों के सामने, "समुचित अधिकारी" शीर्ष के नीचे, "प्राथमिक" शब्द का लोप कर दिया जायेगा ;
- (आ) उप-नियम (2) में, "I-VIII कक्षा के लिये" शीर्ष के नीचे, विद्यमान खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—
- | | |
|---|------------|
| "(क) उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) | अध्यक्ष |
| (ख) जिला शिक्षा अधिकारी | सदस्य सचिव |
| (ग) कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
(भवन तथा सड़कें) | सदस्य |
- या उसका प्रतिनिधि जो उप-मण्डल अभियन्ता की पदवी से नीचे का न हो । ” ।

6. उक्त नियमों में, नियम 38 में,—

- (i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(1) सभी विद्यमान विद्यालय, 31 मार्च, 2004, तक निदेशक के पक्ष में, प्राथमिक/मिडिल विद्यालय के लिये 1000/- रुपये तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिये 2000/- रुपये के मांग ड्राफ्ट के साथ मान्यता प्राप्त करने के लिये विहित प्ररूप II में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित होंगे। प्रत्येक विद्यालय अपनी संरचना में सुधार करने के लिये जहाँ इन नियमों के उपबन्धों को पूरा नहीं करता दो वर्ष की अवधि के समय विस्तार में आवेदन के साथ अपनी योजना प्रस्तुत करेगा जहाँ प्रत्येक छः मास के लिये विशेष मील पत्थर नियत किया जायेगा। ” ;

- (ii) उप-नियम (2) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

“परन्तु जब कोई विद्यालय मान्यता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करता तो समुचित प्राधिकारी, विद्यालय से ऐसी शर्तों को दो वर्ष के भीतर पूरा करने के लिये अपेक्षा करेगा और यदि कोई ऐसी शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो ऐसे विद्यालय की मान्यता वापस ले ली जायेगी ;

परन्तु यह और कि ऐसे विद्यालयों के कक्षा कमरों के आकार तथा कक्षा कमरों की संख्या के लिये मानक वही होंगे जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, के प्रारम्भ होने से पूर्व सरकारी विद्यालयों में विभिन्न प्रवर्गों के लिये शिक्षा विभाग द्वारा विहित किये जाते रहे। ” ।

7. उक्त नियमों में, नियम 39 में, “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “दस वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

8. उक्त नियमों में, नियम 91 में,—

- (i) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(5) छुट्टी भुनाने के लाम, छुट्टी यात्रा रियायत, बोनस तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति इत्यादि की सुविधायें, प्रबन्धन समिति के विवेकाधीन होंगी। इस सम्बन्ध में किसी सहायता अनुदान की विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। ” ;

- (ii) उप-नियम (7) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(8) प्रसूति तथा गर्म-पात छुट्टी भी, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार महिला कर्मचारियों को उपलब्ध होंगी। ” ।

9. उक्त नियमों में, अध्याय VII में, नियम 185 के बाद, निम्नलिखित शीर्ष रखा जायेगा, अर्थात् :—

“ग—सामान्य । ” ।

एम० एल० तायल,
वित्तियुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
EDUCATION DEPARTMENT**Notification**

The 20th February, 2004

No. S. O. 22/H. A. 12/1999/S. 24/2004.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana School Education Act, 1995 (Act 12 of 1999), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana School Education Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Haryana School Education Rules, 2003 (hereinafter called the said rules), in rule 29, in sub-rule (3), for the word "Department", the words "appropriate authority" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 30,—

(i) in sub-rule (1)—

(I) in clause (a), in sub-clause (ii), for the word "Director", the words "appropriate authority" shall be substituted;

(II) in clause (b), to sub-clause (i), the following notes shall be added, namely:—

"Note-I:—A private school can be run in a rented building on lease hold basis with minimum of twenty years irrevocable lease deed provided such building fulfills the norms of land and building as prescribed under these rules."

(ii) in sub-rule (2) the words "or Bank Guarantee" after the word "pledge money" shall be added.

4. In the said rules, in rule 31, in sub-rule (1),—

(i) for the words "ten months", the words "six months", shall be substituted ;

(ii) the figures, letters and words "30th June to" shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 34,—

A. in sub-rule (1), against figures I-V, under heading "Appropriate authority", the word "primary" shall be omitted ;

B. in sub-rule (2), under heading "For I—VIII class" for the existing clauses (a), (b), (c) and (d) and entries there against, the following clauses and entries there against shall be substituted, namely :—

(a) Sub Divisional Officer (Civil)	Chairman
(b) District Education Officer	Member-Secretary
(c) Executive Engineer of the Public Works Department (Building and Roads) or his representative not below the rank of Sub-Divisional Engineer."	Member

6. In the said rules, in rule 38,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) All existing schools shall be required to submit application in Form-II prescribed for recognition alongwith demand draft of Rs. 1000/- for Primary/Middle School and Rs. 2000/- for High/ Senior Secondary School in favour of Director upto 31st March, 2004. Each school shall submit its plan for improving its infrastructure where it does not conform to the provisions of these rules alongwith application spread over a period of two years where specific milestone shall be fixed for every six months." ;

(ii) in sub-rule (2), for the existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely :—

"Provided that when any such school does not satisfy any of the conditions of recognition, the appropriate authority may require the school to satisfy such conditions within two years and if any such condition is not satisfied the recognition shall be withdrawn from such school :

Provided further that the norms for size of class rooms and number of class rooms of such schools shall be the same as used to be prescribed by the Education Department for various categories in Government schools before the commencement of the Haryana School Education Rules, 2003. "

7. In the said rules, in rule 39, for the words , "five years", the words, "ten years" shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 91,—

(i) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted,

namely :—

“(5) The benefit of leave encashment, facilities of leave travel concession, bonus and medical reimbursement etc. shall be at the discretion of the Managing Committee. No grant-in-aid on this account shall be reimbursed by the Department.”;

(ii) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be added, namely :—

“(8) The maternity leave and miscarriage leave shall also be available to the female employees as per instructions issued by the Government from time to time.”.

9. In the said rules, in Chapter VII, after rule 185, the following heading shall be inserted, namely :—

“C—General.”.

M. L. TAYAL,
Financial Commissioner and Secretary to
Government Haryana, Education Department.